राजस्थान राज्य पथ परिहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

निगम द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के माध्यम से 900 चालकों की सर्विस अनुबन्ध पर लेने हेतु दिनांकः–11.03.24 को जारी निविदा के संबंध में दिनांकः–26.03.2024 को प्रि बिड मिटिंग में प्राप्त आपत्ति/सुझावों के संबंध में स्पष्टीकरण यूक्तियां विवरणः–

क्र. सं.	प्राप्त सुझाव	प्रस्तावित स्पष्टीकरण/यूक्तियां,स्पष्टीकरण
1.	वाहन चालक की अचानक कोई मजबूरी पर अनुपस्थित होने पर उसकी कटोती में उसके भुगतान की अनुपस्थिति का ही मात्र मानदेय काटा जावें ।	निगम नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
2.	डीजंल औसत की कटोती भी वाहन चालक से नहीं की जावें क्योंकि कई मार्ग उवड खाबड भीड वाले स्थलों पर बार बार ब्रेक लगाना एवं कई वाहन की आंतरिक कमियों के कारण भी डीजल औसत नहीं आ पाता इसका भुगतान वाहन चालक से काटना अनुचित है।	निगम नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
3.	वाहन चालकों का मानदेय अत्यन्त निम्न है वाहन चालकों का भुगतान प्रति माह करावें ।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार मजदूरी (पारिश्रमिक) दिया जाता है।/ श्रम कानून के अनुसार भुगतान किया जाता है।निगम नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
4.	वाहन चालक के द्वारा पूर्ण सावधानी से वाहन चलाया जाता है और वाहन चलाते समय वाहन चालक द्वारा सम्पूर्ण सावधानी उपयोग की जाती है अचानक कोई प्राणी, जानवर आदि को बचाते समय वाहन कभी कोई कांटा पत्थर की गिटटी आदि पर चढ जाता है जिससे टायर में कट लग जाता है इसकी वसूली भी वाहन चालक से की जाती है जो की गलत है।	निगम नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
5.	वाहन चालक के द्वारा पूर्ण सावधानी से वाहन चलाया जाता है और वाहन चलाते समय वाहन चालक द्वारा सम्पूर्ण सावधानी उपयोग की जाती है अचानक कोई वाहन प्राणि, जानवर सामने आ जाता है और कोई दुर्घटना हो जाती है ओर वाहन चालक से सम्पूर्ण वाहन क्षति पूर्ति की जाती है यह अमान्य है	निगम नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
6.	संबंधित वाहन चालकों का भुगतान प्रति माह जोन से ना करवा कर संबंधित आगार से ही करावें ।	निगम नियमानुसार वित्त प्रबंधन के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाती है।
7.	वाहन चालको से सम्पूर्ण प्रकार की कटोतियाँ नहीं की जावें ओर यदि कटोती काटी जाती है तो उसके भुगतान योग्य ही कटोती काटी जावें।	निगम नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य पथ परिहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

क्र. सं.	प्राप्त सुझाव	प्रस्तावित स्पष्टीकरण / यूक्तियां,स्पष्टीकरण
8.	शर्त संख्या 3 में msme रजिस्टर्ड संस्था को emd में छूट का प्रावधान किया जावे।	RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के प्रावधान अनुसार MSME में पंजीयन की प्रतिभूति राशि में छूट हेतु वर्णित मदों में सेवा का कहीं कोई उल्लेख नही है।सेवा हेतु प्रतिभूति राशि में छुट का प्रावधान नही है।
9.	शर्त संस्था 15 में संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत कर 5 कार्य दिवस में भुगतान करने के उपरान्त संस्था को निगम भुगतान का समय भी नियत किया जावे।	निगम नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाती है।
10	तकनीकी बोली प्रपत्र की शर्त संख्या में अनुभव प्रभाण पत्र गत 3 वित्तिय वर्षो की जगह पिछले 5 या 6 वर्ष किया जाना उचित होगा जिससे अधिक संख्या भाग ले सके।	सुझाव मान्य नही है।
11	वाहन चालक की पारिश्रमिक 9000/– की जगह 14000/– होना चाहिऐ।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार मजदूरी (पारिश्रमिक) दिया जाता हे।/
12	संस्था के सर्विस चार्ज कम से कम 5 प्रतिशत किया जाये जिससे संस्था सही प्रकार से कार्य सके।	आरटीपीपी नियमो के तहत पाबंदी नही लगाई जा सकती है।
13.	निविदा मुख्यालय स्तर पर ही आमंत्रित कर चयनित संस्थाओं का इकरारनामा आगार स्तर पर करवाया जाये, जैसा कि सुरक्षाकर्मीयों का किया जाता है।	निविदा मुख्यालय स्तर पर आमंत्रित कर न्यूनतम सर्विस चार्ज प्रस्तावित करने वाली संस्था को कार्य आदेश जारी करते हुए अनुबन्ध पत्र आगार स्तर पर ही संधारित करवाया जाता है।
14.	श्रीमान तकनिकी निविदा में संस्थाओं का टर्न ओवर 3 करोड के लगभग रखा जावे, जिससे कि कार्य अनुभव व वितिय मजबूत संस्थाओं द्वारा निविदा में भाग लिया जावे।	RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के प्रावधान अनुसार MSME में पंजीयन की प्रतिभूति राशि में छूट हेतु वर्णित मदों में सेवा का कहीं कोई उल्लेख नही है।सेवा हेतु प्रतिभूति राशि में छुट का प्रावधान नही है।
15.	RSRTC द्वारा वितिय प्रबंध नही होने से अधिकतर संस्थाओं को मासिक भुगतान में देरी हो जाती है। इस हेतु संस्थाओं से Bank Solvency जो कि लगभग 40 लाख का हो मांगा जावे, जिससे संस्थाऐं RSRTC से भुगतान में देरी होने पर चालकों को भुगतान करने में सक्षम हो।	आरटीपीपी नियमो के तहत पाबंदी नही लगाई जा सकती है।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य पथ परिहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

क्र. सं.	प्राप्त सुझाव	प्रस्तावित स्पष्टीकरण/यूक्तियां,स्पष्टीकरण
16.	अनुभवः– श्रीमान तकनिकी निविदा में RSRTC में वाहन चालक उपलब्ध करवाने का अनुभव अनिवार्य करने से RSRTC की परिस्थितियों व कार्यशैली में जानकारी वाली संस्थाओं के आने की सम्भावना होगी तथा कार्य सही प्रकार से कर सकेगी।	आरटीपीपी नियमो के तहत पाबंदी नही लगाई जा सकती है।
17.	राजस्थान में रजिस्टर्ड संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावे ।	आरटीपीपी नियमो के तहत पाबंदी नही लगाई जा सकती है।
18.	श्रीमान वितिय निविदा में सर्विस चार्ज की न्यूनतम प्रतिशत राशि करना जरूरी है। जैसा अन्य विभागों में किया जाता है, जो कि कम से कम 5 प्रतिशत अवश्य हो क्योंकि 2 प्रतिशत TDS तथा RSRTC द्वारा PF पर 1 प्रतिशत कम दिया जाता है तथा संस्था की भी 2 प्रतिशत राशि हो जिससे भी वाहन चालकों को पूरा भुगतान मिल सके, पूर्व में भी 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज दिया जाता था।	आरटीपीपी नियमो के तहत पाबंदी नही लगाई जा सकती है।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
रा० रा० प० प० निगम,
मुख्यालय, जयपुर